CNR No.-UPFR010005802026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

उपस्थितः **नीरज कुमार** .....H.J.S **(CODE- UP 1907)**

आपराधिक निगरानी सख्या– 20/2026

1–शैलेन्द्र सिंह उम्र लगभग 56 वर्ष ।

2–सतीश उम्र लगभग 50 वर्ष । पुत्रगण मेघ सिंह

3–संतोषी उम्र लगभग 35 वर्ष पत्नी सुनील

समस्त निवासीगण ग्राम ज्यौना, थाना कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद।

.....निगरानीकर्तागण/विपक्षीगण

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य

2–अमित मिश्रा उर्फ रामू उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र ग्रीशचन्द्र

3–राजकुमार मिश्रा उम्र लगभग 75 वर्ष पुत्र देवीदयाल

निवासीगण ग्राम ज्यौना थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद।

.....उत्तरदातागण/वादीगण

निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, वाद संख्या 5484/2025 अमित मिश्रा उर्फ रामू आदि बनाम शैलेन्द्र सिंह आदि में न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.02.2026 से क्षुब्ध होकर दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान उप जिला मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्तागण/द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त करते हुए द्वितीय पक्ष को स्लेब हटाने हेतु निर्देशित किया गया।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्यों के अनुसार उत्तरदाता/प्रथम पक्ष द्वारा निगरानीकर्ता/ द्वितीय पक्ष के विरुद्ध न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 152 भा.ना.सु.सं. के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण के घर के सामने आम रास्ता है जिससे होकर प्रार्थीगण व गांव के अन्य निवासी निकलते है तथा गांव के लोग अपने टैक्टर व बैलगाडी भी लेकर निकलते है। प्रार्थीगण के घर के ठीक सामने विपक्षीगण 1 लगायत 3 का घर है तथा विपक्षीगण के घर के दरवाजे भी इसी रास्ते पर खुलते है। विपक्षीगण ने अपने घर में प्रवेश करने के लिए सीढियां बनाने हेतु आम रास्ते का अतिक्रमण करके आम रास्ते पर लगभग 3.6 फुट लम्बाई में स्लेप डाल दी। जिससे आम

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.07.22 16:14:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रास्ता काफी संकुचित हो गया है और गांव वालो प्रार्थीगण को निकलने मे व अपने टैक्टर व बैलगाडी निकालने मे काफी कठिनाई होने लगी। जब विपक्षीगण से आम रास्ते से अपनी स्लेप हटाने के लिए कहा गया तो सुनवा नहीं हुए और अमादा फसाद हो गये। दिनांक 28.11.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कायमगंज को उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा आम रास्ते पर सीढियां बनवाने हेतु बनाई गई स्लेव को हटवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर लेखपाल द्वारा जाँच कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.12.2024 को दी गयी थी जिसमें विपक्षीगण द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया था। विगत काफी वर्षों पूर्व विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वज स्व० मेघ सिंह द्वारा भी सड़क का अतिक्रमण कर सीढीयां व चबूतरा का निर्माण किया गया था। जिस पर प्रार्थी संख्या 2 के पूर्वज द्वारा दीवानी न्यायालय में सीढियां व चबूतरा हटवाए जाने हेतु वाद संस्थित किया गया था। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर सीढियां व चबूतरा हटवाकर इसी आम रास्ते को आवागमन हेतु खाली कराया गया था,अनुरोध किया कि आम रास्ते पर विपक्षीगण द्वारा निर्मित स्लैव को हटवाया जाये।

3– विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष के वाद पत्र के क्रम में धारा 152(1) भा.ना.सु.सं. के तहत नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त के विरुद्ध द्वितीय पक्ष/विपक्षी द्वारा विचारण न्यायालय में विस्तृत आपत्ति दाखिल की गयी जिसके मुख्यतः कथन है कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि कथित सीढियाँ /स्लैव उनकी ही सहन की जगह में हैं एवं अन्य कथनों के साथ उपरोक्त प्रार्थना पत्र वाद निरस्त किए जाने का याचना की गयी।

4– उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं आपत्ति पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2026 को प्रथमपक्ष/उत्तरादाता सं० 2 व 3 के वाद/प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 भा.ना.सु.सं. पर आदेश पारित करते हुए द्वितीय पक्ष/निगरानीकर्तागण द्वारा निर्मित स्लैव को हटाकर रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी योजित की गयी है।

5– निगरानी में, उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया एवं तलबिदा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

6– निगरानी में आधार व तर्क लिये गये है कि आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध है। उत्तरदातागण द्वारा तथ्यों को छिपाकर विचारण न्यायालय में वाद दायर किया गया जब कि वास्तविकता यह है कि कथित आम रास्ता गाँव के श्यामपाल के मकान से प्रारम्भ होकर गाँव के अन्त में बाबूराम के मकान तक जाता है, उक्त रास्ते की चौड़ाई हर जगह बराबर नहीं है। निगरानीकर्तागण के मकान के आगे उत्तरदातागण के मकान बने हैं, आगे सामने विपरीत दिशा

में उत्तरदातागण के मकान बने हुए हैं तथा उनके द्वारा ही आगे रास्ता संकुचित कर दिया गया है जोकि वर्तमान में 4–5 फिट से ज्यादा चौड़ा नहीं होगा। प्रस्तुत वाद में उत्तरदाता की तरफ से साक्षी द्वारा जिरह में स्वीकारा गया कि उसे रास्ते की चौड़ाई नहीं मालूम तथा यह भी स्वीकारा है कि साक्षी के सगे भाई योगेश के मकान के सामने रास्ते की चौड़ाई 9 फिट है जो आज भी बनी हुई है जिस पर निगरानीकर्ता पर कोई अतिक्रमण नहीं है और जिस पर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता है। उत्तरदातागण अनैतिक रुप से निगरानीकर्तागण की स्लैव तुड़वाना चाहते हैं। उत्तरदातागण के अन्य साक्षियों द्वारा भी जिरह में स्पष्ट रुप से रास्ते के बारे में अवगत नहीं कराया जा सका है। रास्ते पर उत्तरदातागण द्वारा स्वयं निगरानीकर्तागण के मकान के आगे अतिक्रमण किया गया है और रास्ता इतना संकुचित कर दिया है कि उसमें दो पहिया वाहन जाने में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। विचारण न्यायालय में निगरानीकर्ता के साक्षियों पर उत्तरदागण द्वारा कोई जिरह नहीं की गयी और निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई उल्लेख आलोच्य आदेश में नहीं किया गया है, अनुरोध किया कि निगरानी स्वीकार कर आलोच्य आदेश खण्डित किया जाए।

7– उत्तरदाता संख्या 02 व 03 द्वारा निगरानी के विरुद्ध आपत्ति का०सं० 18 बी दाखिल कर कथन किया गया कि आलोच्य आदेश विधि सम्मत है निगरानीकर्तागण द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। पूर्व में भी निगरानीकर्ता के पूर्वजों द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसको न्यायालय के माध्यम से हटवाया गया। निगरानीकर्ता ने पुनः अतिक्रमण किया तो पुनः विपक्षी संख्या 2 के भाई अनिल द्वारा निगरानीकर्ता शैलेन्द्र के विरुद्ध एक इजराय वाद संख्या 06/06 प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 20.08.2010 को सुलहनामा प्रस्तुत कर बचन दिया गया कि भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे तथा मूलवाद संख्या 122/1961 का अनुपालन करेंगे, अनुरोध किया कि निगरानी खण्डित की जाए।

8– उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली से विदित है कि निगरानीकर्ता ने उपजिला मजिस्ट्रेट कायमगंज के धारा 152BNSS में पारित आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह निगरानी योजित की है जिसके द्वारा कथित अतिक्रमण हटाने के लिए आदेशित किया गया है। धारा 152 BNSS यह प्रावधानित करती है कि (1) *जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि–*

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लायी जाती है या लायी जा सकती है, कोई विधि विरूद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए; अथवा

(ख) ..... (ग).....(घ)..... (ड.).....(च).....

तब ऐसा मजिस्ट्रेट किसी बाधा या न्यूसेन्स पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे मामले या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तम्बू, सरंचना , पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्या या नियन्त्रण रखने वाले या ऐसे जीव जन्तु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अन्दर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा वह ऐसी बाधा या न्यूसेन्स को हटा दे, या.....

या यदि वह ऐसा करने मे आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात उपबन्धित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए।

09– उपरोक्त प्राविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि धारा 152BNSS के प्राविधान मुख्यतः वहीं लागू होते हैं जहां मामला किसी सार्वजनिक स्थान या मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का हो। निगरानीकर्ता ने भी उक्त प्रश्नगत रास्ता को सार्वजनिक रास्ता कहा है। पत्रावली पर कागज सं० 4 ग्राम वासी एवं लेखपाल व ग्राम प्रधान ज्योना रेखा देवी के बयान की प्रति उपलब्ध है जिसमें ग्राम वासी एवं ग्राम प्रधान के हवाले से अंकित है कि "दिनांक 06.12.2024 को राजस्व ग्राम ज्योना में शिकायत कर्ता अमित मिश्रा की शिकायत पर मौके पर ग्राम में जाकर जांच की गयी जिसमें पाया कि ग्राम के अन्दर प्रार्थी के मकान तक जाने के रास्ता पर गांव के ही शैलेन्द्र सिंह पुत्र मेघसिंह द्वारा लगभग तीन फीट छह इंच पर पैकरिया बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे बड़े वाहनों के निकलने में बाधा/समस्या उत्पन्न हो रही है तथा उक्त शैलेन्द्र सिंह पैकरिया हटाने को तैयार नहीं है एवं किसी भी समझौते पर सहमत नहीं है।" पत्रावली पर कागज सं० 8/1 न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट कायमगंज को संबोधित, संबंधित थाना कायमगंज की आख्या है जिसमें थाना कायमगंज के उपनिरीक्षक जगदीश वर्मा ने आख्या दी है कि "आवेदक श्री अमित मिश्रा के मकान तक जाने वाले रास्ते पर शैलेन्द्र सिंह पुत्र मेघ सिंह आदि द्वारा आम रास्ता पर सीढ़ियां/चबूतरा टाइप का बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे आवेदक अमित मिश्रा के मकान तक बड़े वाहन ट्रैक्टर आदि मुड़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है। बिजली का खम्बा भी चबूतरे में आंशिक रूप से दबा रखा है, आम रास्ते में अवैध रूप से सीड़िया व चबूतरा बना रखा है जिसकी फोटो खींच कर संलग्न की जा रही है एवं उपरोक्त सन्दर्भ में पूर्व में दिनांक 06.12.2024 को लेखपाल द्वारा भी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गयी है जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है तथा मौके की चौहददी का नक्शा नजरी बनाकर संलग्न किया गया है।" विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार कायमगंज से भी आख्या आहूत की गयी है जिन्होंने अपनी आख्या कागज सं० 10/1 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विपक्षी शैलेन्द्र सिंह ने रास्ते में 10.9 मीटर लम्बाई में 0.90 मीटर चौड़ाई में व 0.60 मीटर उंचा चबूतरा खड़न्जा उखाड़ कर बना

लिया गया है जिससे आवागमन व ट्रेक्टर आदि बड़े वाहन निकलने में समस्या उत्पन्न होगी तथा यह भी कथन किया गया है कि शैलेन्द्र सिंह द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

10– इसके अतिरिक्त विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदक अमित मिश्रा की तरफ से सूची 22/1 से 22/2 लगायत 2/26 कागजात दाखिल कर कथन किया गया है कि पूर्व में भी निगरानीकर्ता के पूर्वजों द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसको न्यायालय के माध्यम से हटवाया गया। निगरानीकर्ता ने पुनः अतिक्रमण किया तो पुनः विपक्षी संख्या 2 के भाई अनिल द्वारा निगरानीकर्ता शैलेन्द्र के विरुद्ध एक इजराय वाद संख्या 06/06 प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 20.08.2010 को सुलहनामा प्रस्तुत कर बचन दिया गया कि भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे तथा मूलवाद संख्या 122/1961 का अनुपालन करेंगे। पत्रावली पर कागज सं० 22/19 इजराय वाद में उभय पक्ष द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र 44EA1 की छायाप्रति है जिसमें निर्णीत ऋणीगण शैलेन्द्र सिंह आदि ने भविष्य में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांकित 29.05.1962 का उल्लंघन कर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण न करने एवं मूल वाद सं० 122/1961 में पारित आज्ञप्ति का अनुपालन करने का वचन दिया है।

11– पत्रावली पर विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष कथित अतिक्रमण की फोटोग्राफ एवं संबंधित लेखपाल ग्रामवासी ग्राम प्रधान का लिखित बयान, थाना पुलिस की आख्या व तहसीलदार की आख्या उपलब्ध होने के उपरांत विद्वान मजिस्ट्रेट ने उभय पक्षों की बहस सुनकर एवं लिखित बहस का अवलोकन कर आपत्तियों व गवाहों से जिरह आदि का गहनता से परिशीलन कर विधि सम्मत आदेश पारित किया है कि थाना कायमगंज एवं तहसीलदार की आख्या की पुष्टि की जाती है तथा द्वितीय पक्ष/निगरानीकर्तागण को निर्मित स्लैव को हटाकर रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया। निगरानीकर्ता का यह भी तर्क है कि बगैर साक्ष्य का अवसर समाप्त किये तथा कई अन्य लम्बित प्रार्थनापत्रों के निस्तारण किये बिना आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। किन्तु मामले में यह दृष्टव्य है कि निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदक के गवाहों से जिरह भी की गयी है एवं संबंधित आख्याओं पर अपनी आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी है तथा न्यायालय के समक्ष लिखित बहस भी दाखिल की गयी है तब यह अनिवार्य नहीं रह जाता है कि साक्ष्य का अवसर समाप्त करने का औपचारिक आदेश किया जाये। निगरानी के आधारों में स्वयं निगरानीकर्ता की तरफ से कथन किया गया है कि उसने आवेदक के गवाहों से जिरह की है। यद्यपि धारा 152 बी एन एस एस की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है तथापि पत्रावली पर उपलब्ध आदेशपत्रक से स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने उभय पक्षों को सुनवायी व साक्ष्य का अवसर दिया है। आलोच्य आदेश विधिसम्मत तरीके से पारित किया गया है एवं इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है, तदनुसार बलहीन होने के कारण निगरानी खण्डित किये जाने

योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी खण्डित की जाती है।

इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस प्रेषित किया जाये तथा निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांकः22.07.2026

(नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।
(CODE-UP 1907)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः22.07.2026

(नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।
(CODE-UP 1907)